



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 034b3c3f1bc3fd74271e

Receipt Date : 21-Sep-2020 03:21:36 pm

Receipt Amount : 500/-

Amount In Words : Five Hundred Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Palamu

Stamp Duty Paid By : NARAD YADAV


Purpose of stamp duty paid : AGREEMENT

First Party Name : RAMASHIS RAM

Second Party Name : NARAD YADAV


GRN Number : 2002000470

∴ This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-


Book No. 11	No. 307
Date. 29.9.2020	

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

lblestamp_note_hindi1 lblestamp_note_hindi2



21/11/20



Notary appointed under Section 53 of the Notaries Act, 1952 and Notaries Rules, 1956

I, Sheo Prasad, notary duly appointed and authorised under Notaries Act 53 of 1952 and notaries Rules 1956 residing at Daltonganj do hereby certify that this agreement of sale deed comprising 4 (four) sheets has been executed in my presence in between Ramashish Ram first party and Nared yadav as second party. The said executants have been identified by Sri Shrivendra Saw, Ad.

The signatures of both the parties are hereby authenticated on the 29th day of September, 2020 at Daltonganj with my seal and signature.

As per
NOTARY 29.09.20



बिक्रयनामा - सह - एकरारनामा

1. लेख्यकारी का नाम एवं पता :-

रामाशीष राम पिता श्री रामवृत्त राम जाति धोबी,

निवास स्थान ग्राम सुदना , थाना डालटनगंज, जिला - पलामू।

पेशा व्यवसाय, नागरिकता - भारतीय।

आधार नं० - 4242 9837 4141

2. लेख्यधारी का नाम एवं पता :-

नारद यादव पिता श्री जनकधारी यादव

निवासी ग्राम - झरी , पोस्ट - लामीपतरा , थाना - पण्डवा, जिला - पलामू,

पेशा - व्यवसाय, नागरिकता - भारतीय।

आधार सं० 6988 0483 9525

3. लेख्य प्रकार :- एकरारनामा सह बिक्रयनामा।

4. जरसम्मत :- मो० 4,20,000 (चार लाख बिस हजार मात्र।)


5. सम्पति :- मवाजी 11 डी० जमीन।

मौजा - निमियाँ , थाना - डालटनगंज, अंचल - मेदिनीनगर , जिला - पलामू सर्वे

निबंधन मेदिनीनगर, जिला - पलामू हकियत खरीदगी मकान बनाने योग्य जिसका केवाला

नं० 4203 भौलूम नं० 159 पेज नं० 375 से 388 दिनांक 10.08.2000 ई० से प्राप्त गब्बर सिंह

का प्रतिनिधि।




रामाशीष राम
29.9.2020

जबरासिंह

28/09/2020

पैसा नहीं माँगेगा, उसी पैसा में हम रजिस्ट्री करेंगे एवं करवायेंगे क्योंकि आज के तारीख में बाजार मुल्य जितना है लेख्यधारी से ज्यादा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुल्य लेख्यधारी ही देने में सक्षम हुए और उन्होंने आज के तारीख में हमें 4,20,000 /- (चार लाख बीस हजार) रूप्ये मात्र दिए। 4,20,000 /-(चार लाख बीस हजार) रूप्ये मात्र लेकर लेख्यधारी के पक्ष में यह एकरारनामा सह बिकयनामा बना दिया ताकि समय पर काम आ सके एवं प्रमाण रहे।

यह कि उपरोक्त सारे वर्णित तथ्य पढ़ कर पढ़वा कर सौच कर समझ कर अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया ताकि समय पर काम आ सके एवं प्रमाण रह सके।



लेख्यकारी का हस्ताक्षर

रामाश्री राम
29/09/2020

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

Noraj yada
29/09/2020

गवर्नर

29.09.2020

29/09/2020


रामाश्री राम
29.09.2020

मौजा	निमित्त
थाना नं०	192
तौजी नं०	87
खेवट नं०	1
हल्का नं०	1
खाता नं०	44
प्लॉट नं०	231
रकवा	11डी०
चौहदी	उ० - निज द० - बच्चन उपाध्याय गुरुजी पु० - 10 फीट का रास्ता प० - नाला

मालगुजारी - मो० 50 पैसा अलावे शेष।

विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि लेख्यकारी की प्रतिनिधि के तौर पर हासिल है जो गब्बर सिंह पिता स्व० दुखन सिंह जाति रवानी मुहल्ला हमीदगंज, पोस्ट एवं थाना - मेदिनीनगर जिला पलामू पेशा व्यवसाय, राज्य - झारखण्ड, नागरिकता से प्राप्त है। जिसका प्रतिनिधि निबंधित केवाला नं० 9845 दिनांक 22.9.2011 है इस भूमि पर लेख्यकारी ने किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी कर्ज या ऋण भार नहीं लिया है और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से दखल कब्जा में चला आ रहा है और आज तक उस पर कोई विवाद नहीं है।

यह कि गब्बर सिंह के द्वारा लेख्यकारी को सभी प्रकार का कानूनी उपचार के साथ खरीद बिक्री का पावर रामाशीष राम को दे दिए हैं जो लेख्यधारी से सबसे उचित मुल्य 4,20,000 (चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र लेकर यह एकरारनामा सह बिक्रीनामा बना दिया ताकि समय पर काम आ सके एवं प्रमाण रहे। विदित हो कि अभी जमीन सी० एन० टी० एक्ट में होने के कारण अनुमति नहीं मिलने के कारण जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। जैसे ही जमीन निबंधन शुरू हो जाएगा वैसे ही उसी पैसा में निबंधित कर देंगे तथा करवा देंगे ओर उस दिन निबंधित के समय किसी भी प्रकार का



रामाशीष राम

29.9.2020

29.9.2020